बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)
दूरभाष/फैक्स: 0612 2530066, वेबसाइटः brbn.bih.nic.in ई–मेलः brbn.bih.mail@gmail.com

पुनर्निविदा सूचना सं0– विपणन 17/2015–16

निविदा सूचना संख्या–विपणन 15/2015–16 द्वारा बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं बीज ग्राम योजना** में **चना, मसूर, मटर एवं मूँग (गरमा)** के **आधार/प्रमाणित–1** बीज उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। उक्त निविदा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है।

उक्त निविदा के शर्तों के अधीन पुर्ननिविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक सभी सरकारी/ राष्ट्रीय सहकारी/निजी बीज उत्पादक कंपनी जिनका बीज ब्यापार में गत दो वर्षो में लगातार 2 करोड़ प्रति वर्ष का टर्न ओभर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो, वह निगम के वेवसाइट **brbn.bih.nic.in एवं www.krishi.bih.nic.in** से डाउन लोड कर अथवा बिहार राज्य बीज निगम के मुख्यालय से कार्यालय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। निविदा में भाग लेने हेतु अन्य अहर्त्ता एवं षर्त निविदा आवेदन पत्र में देखा जा सकता है।

निगम कार्यालय सें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि – **26.10.2015 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक**

निगम कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – **26.10.2015 को 1:00 बजे मध्यान तक**

निविदा खोलने की तिथि एवं समय – **26.10.2015 को 03:00 बजे अपराह्न**

नोटः– निविदा सूचना संख्या– विपणन 15/2015–16 में प्राप्त निविदा–पत्र इस पुर्ननिविदा हेतु मान्य है।

विपणन प्रमुख

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)
दूरभाष/फैक्सः 0612 2530066, वेबसाइटः brbn.bih.nic.in ई–मेलः brbn.bih.mail@gmail.com

पुनर्निविदा सूचना सं0– विपणन 17/2015–16

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बिहार राज्य के किसानों को **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं बीज ग्राम योजना** में **चना, मसूर, मटर एवं मूँग** के **आधार/प्रमाणित–1** बीज उपलब्ध कराने हेतु नीचे अंकित ब्यौरा के आनुसार 2014–15 में बीज के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

क्र0	फसल	श्रेणी	प्रभेद	अनुमानित बीज की आवष्यकता (क्वीं0 में)	पैक साईज
	चना	आधार/प्रमाणित–1	Digvijay, Jaki- 9218, RSG-963/902, KAK-2, HC-5, GNG- 1581, BGM-547	6800.00	8 Kg.
	मसूर	आधार/प्रमाणित–1	Pusa Masoor- 5, KLS- 218 (Azad), HUL- 57, Pant Lentil-8, Pant Lentil-5	4600.00	4 Kg.
	मटर	आधार/प्रमाणित–1	Prakash, Maliviya Matar-15 , Vikash	2100.00	8 Kg.
	मूँग	आधार/प्रमाणित–1	SML 668, Pusa Vishal, Pusa- 3531	46.00	4 Kg.

प्रभेदो की सूची में बिहार राज्य के लिए अनुशंसित प्रभेद को राज्य सरकार की अनुशंसा के आलोक में प्रबंध निदेशक द्वारा जोड़ा जायगा।

निविदा में भाग लेने हेतु अहर्ता –

1. इच्छुक सभी सरकारी/राष्ट्रीय सहकारी/निजी बीज उत्पादन कम्पनी ,जिनका बीज व्यापार में गत दो वर्षों में लगातार 2 करोड़ प्रति वर्ष का टर्न ओभर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो ।
2. न्यूनतम 500 एकड़ स्वयं का निबंधित बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है।
3. स्वयं का न्यूनतम 500 मैट्रिक टन बीज भंडारण के लिए वेयर हाउसिंग की क्षमता है।
4. स्वयं का न्यूनतम 2 मैट्रिक टन प्रति/घंटा प्रोसेसिंग इकाई है।
5. स्वयं का प्रोसेसिंग इकाई 2012 या इससे पूर्व के वर्षो से स्थापित है।
6. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से बीज का वितरण करने के स्थिति में कम्पनी का स्वयं एवं डीलर का बिहार राज्य में बीज बिक्री का वैद्य अनुज्ञप्ति हो।
   नोट :– बिहार राज्य बीज निगम के डीलर नेटवर्क के माध्यम से बीज का वितरण करने पर बिहार राज्य में बीज बिक्री की अनुज्ञप्ति अनिवार्य नहीं है।

शर्ते :–

1. उपर की कंडिक मे अंकित मात्रा न्यूनतम है। जिसमें राज्य की आवश्यता के अनुरुप बढाया या घटाया जा सकता है।
2. आधार बीज के क्रय को प्राथमिकता दी जानी है।
3. निविदा द्वारा आवष्यकता से कम बीज मात्रा की उपलब्धता होने पर निगम अन्य निविदादाताओं से न्यूनतम प्रत्युत्रदायी बोली दर पर अतिरिक्त मात्रा प्राप्त कर सकेगा।
4. निविदा की संपूर्ण प्रक्रिया बिहार वित नियमावली संशोधन 2005 के प्रावधानों के अधिन की जायगी।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.10.2015 को पूर्वाहन 11:00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26.10.2015 को मध्यान 1:00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र हेतु शुल्क – 1000.00 नगद भुगतान पर अथवा निगम के बेबसाइट **brbn.bih.nic.in** से डाउनलोड करने पर रु1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग से जमा करना होगा।
अग्रधन की राषि – रू0 5,00,000.00 (पॉच लाख रूपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट बिहार राज्य बीज निगम लि0 पटना के पक्ष में तकनिकी निविदा के लिफामा में ही जमा करना अनिवार्य है।
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि समय एवं स्थान – दिनांक 26.10.2015 को अपराह्न **03:00 बजे** प्रबधं निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 के कार्यालय कक्ष में।

निविदा तकनिकी एवं वित्तीय मुल्यांकन समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी। लिफाफा के ऊपर पूर्णनिविदा सूचना संख्या–विपणन–17/2015–16 अंकित करना , Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid, Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid एवं स्वयं का पता लिखना अनिवार्य है। इन लिफाफों को मुहरबंद कर तथा दोनों लिफाफा को एक अलग बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर निगम मुख्यालय, पटना में निविदा बॉक्स में जमा करना होगा। सभी लिफाफे अलग–अलग मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

आवष्यकतानुसार निविदादाताओं के स्टॉक एवं गोदाम का निरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में दर्षायी गयी मात्र कम या अधिक हो सकती है। बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को आंषिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार प्रबधं निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 बिहार के पास सुरक्षित है।

विपणन प्रमुख

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)
दूरभाष/फैक्स: 0612 2530066, वेबसाइट: brbn.bih.nic.in ई–मेल: brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा प्रपत्र

पुनर्निविदा सूचना सं0– विपणन 17/2015–16

मनी रसीद सं0.. दिनांक ....
राषि रु0 1000/– (एक हजार रुपये मात्र)
पार्टी का नाम एवं पता ....

रोकड़पाल का हस्ताक्षर

नोटः– निविदा प्रपत्र दिनांक 26.10.2015 को 1:00 बजे मध्यान तक Technical Bid तथा Financial Bid अलग–अलग लिफाफा में मुहरबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग बड़े लिफाफे में विपणन प्रमुख को संबोधित एवं स्वयं का पता के साथ, मुहरबंद कर बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना में निविदा बॉक्स में डालना होगा। Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid तथा Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid लिखना है, साथ ही सभी लिफाफों को मुहरबंद करना है। मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

Technical Bid लिफाफा में निविदा पृष्ठ सं0–1 से 8 तक पैन संख्या तथा बिक्री कर (VAT) प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाणपत्रों के छाया प्रति के साथ डालकर बंद करें।

Financial Bid लिफाफा में निविदा पृष्ठ सं0–9 डालकर बंद करें।

विपणन प्रमुख

नियम एव शर्त्त

(क) तकनिकी निविदा हेतुः–

1. बिहार राज्य के लिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं बीज ग्राम योजना में नीचे अंकित ब्यौरा के आनुसार अनुषंसित बीज का आधार/प्रमाणित–1 प्रभेद आपूर्ति करना होगा :–

क्र0	फसल	श्रेणी	प्रभेद	अनुमानित बीज की आवष्यकता (क्वीं0 में)	पैक साईज
	चना	आधार/प्रमाणित–1	Digvijay, Jaki- 9218, RSG-963/902, KAK-2, HC-5, GNG- 1581, BGM-547	6800.00	8 Kg.
	मसूर	आधार/प्रमाणित–1	Pusa Masoor- 5, KLS- 218 (Azad), HUL- 57, Pant Lentil-8, Pant Lentil-5	4600.00	4 Kg.
	मटर	आधार/प्रमाणित–1	Prakash, Maliviya Matar-15 , Vikash	2100.00	8 Kg.
	मूँग	आधार/प्रमाणित–1	SML 668, Pusa Vishal, Pusa- 3531	46.00	4 Kg.

इसके अतिरिक्त बिहार के लिए अन्य अनुषंसित प्रभेद का चयन राज्य सरकार की अनुशंसा पर प्रबंध निदेषक द्वारा किया जा सकता है।

2. आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से बीज का वितरण जिलो में करने की स्थिति में कंपनी का स्वंय एवं उनके डीलर का बिहार राज्य में बीज बिक्री का वैध अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। बिहार राज्य बीज निगम लि0 के डीलर नेटवर्क से आपूर्ति के स्थिति में डीलर कमीषन समेत 10% एवं स्वयं के डीलर नेटवर्क से आपूर्ति किये जाने पर 2% कमीषन की कटौती हस्थालन मद में की जायेगी।
3. उपर की तालिका मे अंकित मात्रा औपबंधिक है। जिसमें राज्य की आवञ्यकता के अनुरुप बढाया या धटाया जा सकता है।
4. निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली बीज के गोदाम की विवरणी फसलवार भंडारित बीज की गोदामवार मात्रा एवं भंडारित गोदाम का नाम एवं पूर्ण पता तकनिकी निविदा के साथ अंकित करना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. निविदा मात्रा का न्यूनतम 40 प्रतिशत मात्रा आपूर्ति करने की बाध्यता होगी।
6. आधार बीज के कय को प्राथमिकता दी जानी है।
7. निविदा द्वारा आवष्यकता से कम बीज मात्रा की उपलब्धता होने पर निगम अन्य निविदादाताओं से न्यूनतम प्रत्युत्तरदायी बोली दर पर अतिरिक्त मात्रा प्राप्त कर सकेगा।
8. निविदा की संपूर्ण प्रक्रिया बिहार वित नियमावली संञोधन 2005 के प्रावधानों के अधिन की जायगी।
9. निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली चना, मसूर, मटर एवं मूँग के आधार/प्रमाणित–1 बीज के गोदाम की विवरणी भण्डारित बीज की गोदामवार मात्रा एवं भण्डारित गोदाम का नाम एवं पता तकनीकी निविदा के साथ अंकित करना आवष्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. जिलावार चना, मसूर, मटर एवं मूँग के आधार/प्रमाणित–1 बीज की मात्रा उस जिले के सभी प्रखण्डों में आपूर्तिकर्ता अपने स्वयं अथवा बिहार राज्य बीज निगम के डीलर के माध्यम से रब्बी 2015–16 में स्टॉल लगाकर चयनित किसानों के बीच अनुमान्य अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
11. चना, मसूर, मटर एवं मूँग के आधार/प्रमाणित–1 बीज चना 8 कि.ग्रा., मसूर 4 कि.ग्रा., मटर 8 कि.ग्रा. एवं मूँग (गरमा) 4 कि.ग्रा. के कपड़ा थैला में पैक होगा। बीज का रासायनिक बीज उपचार करना होगा।
12. आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी द्वारा लॉटवार प्रेषण सुनिष्चित करना होगा जिसकी क्रमवार सूचना निगम को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना होगा।
13. जिला स्तर पर बीज आपूर्ति के पश्चात् चालान/जी0आर0 एवं विपत्र की प्रति जिला कृषि पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करवाकर आपूर्ति की अंतिम तिथि के पंद्रह दिनों के अन्दर जमा करने की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी की होगी। सीधे निगम की आपूर्ति की स्थिति में बीज आपूर्ति चालान निगम को देना होगा। जिला कृषि पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने की जिम्मेवारी निगम की होगी।

14. कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये चना, मसूर, मटर एवं मूँग के आधार/प्रमाणित–1 बीज का नमूना बीज को पहूँचाने वाले वाहन से संग्रहण संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा कर प्रयोगशाला में जॉच हेतु भेजेंगे। नमूना अमानक आने पर उक्त लॉट के बीज का भुगतान नही किया जायगा एवं बीज अधिनियम–1966 के प्रावधान के अनुसार अन्य कार्रवाई की जा सकती है। बीज निरीक्षक को लॉट के फलाफल बिहार राज्य बीज निगम को उपलब्ध करवाना होगा।

15. तकनिकी निविदा के साथ निम्न से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करें :–
    (i) न्यूनतम 500 एकड़ का बीज उत्पादन क्षेत्र बीज प्रमाणन एजेन्सी के साथ निबंधित।
    (ii) 500MT क्षमता का वेयर हाउसिंग।
    (iii) न्यूनतम 2MT/घंटा क्षमता का प्रोसेसिंग इकाई जो वर्ष 2012 के पूर्व से संबंधित बीज प्रमाणन एजेन्सी के साथ निबंधित।
    (iv) बीज व्यापार न्यूनतम 2 करोड़ वार्षिक का टर्नओवर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो। मात्र अंकेक्षण प्रमाण–पत्र की सार (Summary) पृष्ठ एवं आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न हो।

16. बीज के थैला पर निम्न बातें लिखी होनी चाहिएः–
    (i) केवल बिहार राज्य में बिक्री के लिए।
    (ii) कृषि विभाग की योजना अन्तर्गत।
    (iii) जहर से शोधन किया हुआ एवं खाने योग्य नहीं।
    (iv) लाल रंग में खतरनाक चिन्ह (हड्डी एवं सिर का चिन्ह) बनावें।
    (v) बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
    (vi) विपणन द्वारा बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना।

17. बन्द लिफाफे के ऊपर निविदादाता बीज उत्पादक कंपनी का नाम एवं पता अंकित होगा जो विपणन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम लि0 पटना को प्रेषित होगा।

18. निविदा में सफल निविदादाता कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले चना, मसूर, मटर एवं मूँग के आधार/प्रमाणित–1 बीज का पॉच नमूना प्रति नमूना 500 ग्राम मात्रा पारदर्शी थैले में आपूर्ति आदेष प्राप्ति के समय सीलबन्द कर जमा करना होगा। उक्त थैले पर निविदादाता कम्पनी का नाम, वर्ष, प्रभेद का नाम लिखा ऐड्रेस टैग लगाना/चिपकाना होगा।

19. बीज आपूर्ति बिहार के विभिन्न जिलों में आदेष में अंकित तिथि तक अनिवार्य रुप से करना होगा। ससमय बीज आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेष रद्द करते हुए अन्य आवष्यक वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कारवाई किया जा सकता है।

20. निविदादाता द्वारा अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगा।

निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

(ख) वित्तीय निविदा हेतुः–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का हीं वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
2. 8/4 किलोग्राम के कपड़ा थैला में उपचारित चना, मसूर, मटर एवं मूँग के आधार/प्रमाणित–1 बीज के लिए प्रति क्वी0 दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा। उक्त प्रति क्वीं0 अंकित दर में परिवहन, हस्तालन एवं जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर आयोजित मेला में किसानों के बीच वितरण तक व्यय की गई राषि एवं डीलर कमीषन शामिल होगा।
3. न्यूनतम दर वित्तीय निविदा कंडिका–2 के कॉलम 6 के आधार पर तय किया जाएगा।
4. निविदा में घोषित न्यूनतम दर अथवा न्यूनतम दर से कम दर पर आपूर्ति करने हेतु इच्छुक अन्य निविदादाताओं को भी बीज उपलब्धता के आधार पर बिहार वित नियमावली 2005 के धारा 131 द xiv के अनूरुप आपूर्ति आदेष प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 के आदेष पर दिया जा सकता है।
5. बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 'त' के आलोक में निविदा में सफल बोलीकर्त्ता को आपूर्ति योग्य स्वीकृत मात्रा के मूल्य का न्यूनतम 5 प्रतिशत राशि प्रदर्शन प्रतिभुति के लिए जमा की जायगी। यह राशि किसी वाणिजिय बैंक से स्वीकार योग्य फार्म में निर्गत खाता देय डिमान्ड ड्राफ्ट/सावधि जाम रसीद/बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार्य होगी। प्रदर्शन प्रतिभूति वारंटी दायित्व सहित आपूर्तिकर्त्ता के सभी करार दायित्वों के पूरा होने की तिथि से 60 (साठ) दिन बाद की अवधि तक वैध रहनी चाहिए। प्रदर्शन प्रतिभूति की प्राप्ति पर सफल बोलीकर्त्ता को बोली प्रतिभूति (सुरक्षित जमा) वापस कर दी जायगी।
6. आपूर्ति मात्रा का निर्धारण न्यूनतम दर एवं बीज उपलब्धता के आधार पर निविदा समिति द्वारा दिया जाएगा।
7. चना, मसूर, मटर एवं मूँग के आधार/प्रमाणित–1 बीज की आपूर्ति कृषि विभाग द्वारा निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम में सुनिष्चित कराना होगा। ससमय बीज आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेष रद्द की जा सकती है।
8. निविदा में न्यूनतम मूल्य पर चना, मसूर, मटर एवं मूँग के आधार/प्रमाणित–1 बीज क्रय हेतु विभिन्न निविदादाता बीज उत्पादक संस्था को बीज मात्रा आवंटित करने के लिए प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।
9. निविदा में अंकित न्यूनतम दर अथवा उससे कम दर पर चना, मसूर, मटर एवं मूँग के आधार/प्रमाणित–1 बीज कृषि विष्वविद्यालय एवं I.C.A.R. संस्थाओं से क्रय करने के लिए प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये गये बीज में किसी प्रकार की षिकायत की सूचना प्राप्त होने पर पूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी की होगी। इस सम्बंध में निविदादाताओं को नोटरी पब्लिक से षपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदा की प्रक्रिया में विवाद की स्थिति में निविदा समाप्ति के उपरान्त अपीलीय परिवाद दायर किया जा सकता है जिसपर अध्यक्ष–सह–कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना का निर्णय अन्तिम माना जाएगा जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य होंगे।
11. अगर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में विवाद का न्याय अधिकार क्षेत्र पटना जिला होगा।

निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

(ग) भुगतान की प्रक्रियाः–

1. आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनी द्वारा आपूर्ति किए गए बीज के मूल चालान/जी0आर0नं0 पर बीज प्राप्तकर्त्ता, अधिकृत बीज बिक्रेताओं तथा संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर मुहर सहित बिहार राज्य बीज निगम के मुख्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त आपूर्ति मात्रा का 50 प्रतिषत राषि का भुगतान किया जाएगा। यह विपत्र आपूर्ति आदेष में अंकित आपूर्ति की अंतिम तिथि के अधिकतम 15 दिनों के अंदर कुल आपूर्ति मात्रा का मूल चालान/जी.आर.नं. एक बार में एक साथ उपलब्ध करवाना होगा।
2. सफल बीज अंकुरण जॉचोपरान्त अन्तिम 50 प्रतिषत राषि का भुगतान , अनुमान्य कटौतियों के साथ किया जाएगा।
3. बिहार राज्य बीज निगम लि0 के विपणन तंत्र के अधिकृत बीज बिक्रेताओं का इस्तेमाल करने पर निगम द्वारा भुगतेय कुल राषि का 10 (डीलर कमीशन 8 प्रतिशत+निगम हथालन कमीशन 2 प्रतिशत) प्रतिषत कमीषन की कटौती के उपरान्त नियमानुसार शेष राषि का भुगतान किया जाएगा।
4. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से वितरण करने पर हस्थालन कमीषन 2 प्रतिषत आपूर्ति आदेष में अकित दर के कुल भुगतेय राषि से कटौती के उपरान्त शेष राषि का भुगतान किया जायेगा।
5. अमानक पाए गए बीज की राषि का भुगतान नहीं किया जाएगा साथ ही अमानक बीज वापसी के लिए बिहार राज्य बीज निगम जिम्मेवार नहीं होगा। अमानक बीज से प्रभावित कृषकों को फसल की क्षतिपूर्ति राषि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाना है।

निविदादाता या उनके
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

प्रमाण–पत्र

पुर्ननिविदा सूचना सं0– विपणन 17/2015–16 से संबंधित सभी नियम शर्त्त मान्य है तथा उक्त शर्त्त को भली भॉति पढ़कर एवं समझकर हस्ताक्षर किया हूँ।

निविदादाता या उनके
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा

1. विज्ञापन संख्याः– **विपणन 17/2015–16** पुर्ननिविदा जमा करने की अन्तिम तिथिः–
2. निविदा कम्पनी का नाम एवं पताः–
3. निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम एवं पदनामः–
4. मोबाईल/फोन संख्या (सम्पर्क संख्या):–
5. ई–मेल :–
6. सुरक्षित जमा राशि का व्यौराः– बैक का नामः–

   ड्राफ्ट संख्या/तिथिः– राशिः–
7. स्थाई लेखा संख्या PAN (**अनु0–1**):–
8. अंकेक्षित वार्षिक प्रतिवेदन सारांष(2013–14/2014–15 **अनु0–2**):–
9. निविदा के शर्त मान्य है/नहीं हैः–
10. शपथ–पत्र (बीज आपूर्ति के क्रय में देष में कहीं भी शिकायत नहीं होने के सम्बन्ध में **अनु0–3**) :–
11. बीज उत्पादन क्षेत्र का व्यौराः– (बीज प्रमाणन एजेन्सी का प्रमाणपत्र **अनु0–4**)–

    रकबा (एकड में)–

    पताः– ग्रामः– जिलाः– राज्यः–
12. भण्डारण क्षमता (MT में) एवं भण्डार का पूर्ण पता (**अनु0–5**):–
13. प्रोसेसिंग ईकाई का निबंधन एवं पता :– (**अनु0–6**):–
14. बीज की उपलब्ध मात्रा हेतु व्यौराः–

क्र0	फसल	श्रेणी	प्रभेद	निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली मात्रा क्वीं0 में	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

नोट :– सभी अनुलग्नक क्रमवार संलग्न

निविदादाता या उनके
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा

पुर्ननिविदा सूचना सं0– विपणन 17/2015–16

1. बीज कम्पनी का नाम एवं पता ....

....

....

....

2. दर संबंधी विवरणी :–

(क)

क्र0	आधार बीज की उपलब्धता			पैकिंग साईज (कि.ग्रा. में)	दर (FOR) जिला स्तरीय सभी कमीषन सहित प्रति क्वीं0 रू0 में
	फसल	प्रभेद	उपलब्ध मात्रा (क्वीं0 में)		
1	2	3	4	5	6
1	चना			8	
2	मसूर			4	
3	मटर			8	
4	मूँग			4	

(ख)

क्र0	प्रमाणित–1 बीज की उपलब्धता			पैकिंग साईज (कि.ग्रा. में)	दर (FOR) जिला स्तरीय सभी कमीषन सहित प्रति क्वीं0 रू0 में
	फसल	प्रभेद	उपलब्ध मात्रा (क्वीं0 में)		
1	2	3	4	5	6
1	चना			8	
2	मसूर			4	
3	मटर			8	
4	मूँग			4	

3. बीज का विक्रय अपने अधिकृत डिलर के माध्यम से किया जायगा – हॉ/नहीं

निविदादाता या उनके
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर